झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-02

द्वितीय सत्र(बजट)
सोमवार, दिनांक-02 मार्च, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 04.00 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.प्रश्न काल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

(क) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-13

(i) **उत्तरित कुल-09-** अ० सू०-01, श्री प्रदीप यादव, स० वि० स०, अ० सू०-02,श्री अमित कुमार, स० वि० स०, अ० सू०-03 श्री प्रकाश राम, स० वि० स०, अ० सू०-04 श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, स० वि० स०, अ० सू०-05 श्री राधाकृष्ण किशोर, स० वि० स०, अ० सू०-06 श्री प्रकाश राम, स० वि० स०, अ० सू०-07 श्री आलमगीर आलम, स० वि० स०, अ० सू०-08 श्री अमित कुमार, स० वि० स० एवं अ० सू०-09 श्री कमल किशोर भगत, स० वि० स०। **(माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव अपने प्रश्न के संदर्भ में सरकार द्वारा दिये गये उत्तर के विरोधस्वरूप सदन की वेल में दो बार आ गये। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी के सुझाव पर आसन द्वारा घोषणा की गयी कि प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य, विभाग के प्रभारी मंत्री तथा सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग माननीय अध्यक्ष, विधान सभा की अध्यक्षता में इसका समाधान निकाला जा सकेगा)**

(ii) **अनागत कुल-04-** अ० सू०-10 से 13 तक।

2.मुख्यमंत्री प्रश्न काल:-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के वर्त्तमान सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रथम दिन होने के कारण आसन द्वारा इसकी महत्ता से सदन को अवगत कराया गया और यह भी सुस्पष्ट किया गया कि यह व्यवस्था भारतवर्ष के मात्र तीन राज्यों- मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड में ही लागू है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में केवल नीतिगत विषयों को ही उठाये जाने का सुझाव आसन से दिया गया।

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 52 के प्रावधान के तहत निम्न माननीय सदस्यों द्वारा नाम के सामने उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये जिनका उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये-

(कृपया पृष्ठ उल्टें)

	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय
1.	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,	राज्य में खनिज आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना।
2.	श्री बिरंची नारायण,	कृषि बाजार समिति को भंग करना।
3.	श्री प्रदीप यादव,	नौकरियों में ओ.बी.सी. को आरक्षण देना।
4.	श्री राधाकृष्ण किशोर,	महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना।
5.	श्री नागेन्द्र महतो,	स्थानीय नीति को परिभाषित कर लागू करना।
6.	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता,	नौकरियों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना।
7.	श्री नारायण दास,	अनुसूचित जाति आयोग का गठन करना।
8.	श्री कमल किशोर भगत,	जनगणना सम्बन्धी प्रपत्र में सरना कोड के लिए कॉलम का प्रावधान किया जाना।
9.	श्री जगरनाथ महतो,	आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए भी वेतनमान लागू करना।
10.	श्री हरिकृष्ण सिंह,	ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों को राशन में गेहूँ की आपूर्ति करना।
11.	श्री अमित कुमार,	प्रज्ञा केन्द्रों में इन्टरनेट की बेहतर व्यवस्था करना।
12.	श्रीमती विमला प्रधान,	इंदिरा आवास के लाभुकों का चयन करना।
13.	श्री अशोक कुमार,	राजमहल परियोजना, ललमटिया को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर सुविधायें प्रदान करना।
14.	श्री अरूप चटर्जी,	स्वाईन फ्लू से बचाव का उपाय ढूंढ़ना।
15.	श्रीमती गंगोत्री कुजूर,	धोती-साड़ी योजना में अनियमितता को दूर करना।
16.	श्री बादल,	किसानों की फसल बीमा योजना के तहत लम्बित राशि का भुगतान किया जाना।
17.	श्री राज कुमार यादव,	शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी दूसरी सूची जारी करना।

(मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन की बिजली गुल हो जाने पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य सदस्यों द्वारा आपत्ति जतायी गयी और सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की माँग की गई। माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव द्वारा हजारीबाग जिले के कई गाँवों में हाथियों द्वारा किये जा रहे उत्पात की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।)

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्यों से सहयोग के लिए आसन द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

3.शून्यकाल:-

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने महत्त्वपूर्ण समस्याओं की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया-

श्री जगरनाथ महतो,
श्री हरि कृष्ण सिंह,
श्री प्रकाश राम,
श्री बादल,
श्री प्रदीप यादव,
श्रीमती निर्मला देवी,
श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता,
श्री राधाकृष्ण किशोर,
श्री आलमगीर आलम,

कु०वृ०उ०

श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री कमल किशोर भगत,
श्री शिवशंकर उराँव,
श्री अशोक कुमार एवं
श्री योगेश्वर महतो।

आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि शून्यकाल से सम्बन्धित कतिपय विषय ऐसे थे जो शून्यकाल के दायरे से बाहर थे तथापि प्रथम दिन होने के कारण उन्हें ले लिया गया। भविष्य में माननीय सदस्यों को इसका ध्यान रखे जाने हेतु आग्रह किया गया।

4.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

श्री अशोक कुमार, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उद्योग विभाग की ओर से सरकारी वक्तव्य हुआ, परन्तु माननीय सदस्य द्वारा उत्तर से संतुष्ट नहीं होने कारण इसे अगले दिन के लिए स्थगित किया गया। इसके अतिरिक्त सदन के लिए वक्तव्य हेतु चयनित अन्य ध्यानाकर्षण सूचनाओं को भी विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण अगले दिन के लिए स्थगित किया गया।

5.विविध चर्चायें:-

माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने गढ़वा जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी द्वारा ट्रैक्टर वितरण में बरती गयी अनियमितताओं तथा उनकी मनमानी की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जाँच की माँग की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पलामू के कमिश्नर से जाँच कराये जाने की घोषणा की गयी तत्पश्चात् प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने सम्बन्धी जानकारी आसन द्वारा दी गयी।

6.सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-244(2) के तहत कृत कार्रवाई (ATR) प्रतिवेदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा सदन पटल पर रखा गया तदुपरांत आसन द्वारा घोषणा की गयी कि माननीय सदस्य इसपर अपना सुझाव एक सप्ताह के अन्दर दे सकते है जिसके आलोक में आवश्यकतानुसार उस विषय पर सदन में अलग से चर्चा करायी जायेगी।

7.वित्तीय कार्य:-

माननीय प्रभारी वित्त मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा **"मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग"** में सम्मिलित मांग सदन में पेश की गयी। श्री प्रकाश राम, स० वि० स० द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

अन्तराल के पूर्व से जारी वाद-विवाद में विभिन्न दलों को आसन द्वारा आवंटित समय से अवगत कराया गया।

8.वित्तीय कार्य (क्रमांक-7 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में श्री प्रकाश राम, स० वि० स० द्वारा वाद-विवाद प्रारंभ किया गया जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया-

श्री राधाकृष्ण किशोर,
श्री रवीन्द्रनाथ महतो,

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री राधाकृष्ण किशोर ने आसन ग्रहण किया)

क० प्र०उ०

श्री आलमगीर आलम,
श्री केदार हजरा,
श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता,
श्री लक्ष्मण टुडू,
श्री राज कुमार यादव,
श्री राज सिन्हा,
श्री प्रदीप यादव,
श्री जय प्रकाश वर्मा।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

इसपर सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। माननीय सदस्य, श्री प्रकाश राम द्वारा कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया जो ध्वनिमत से सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग'' की मांग स्वीकृत हुई।

अनुदान में सम्मिलित शेष मांगें गिलोटिन (मुखबन्द) के माध्यम से स्वीकृत की गयीं।

9.विधायी कार्य:-

श्री सरयू राय, प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा झारखण्ड विनियोग (संख्या-2), विधेयक- 2015 पुर:स्थापित किया गया जो विचारोपरांत सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-03.03.2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 02 मार्च, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।